

## क्षेत्रीय कार्यालय संसार चन्द्र रोड, जयपुर – 302001

### सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) व 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस । आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति को प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को “ जहाँ है, जैसी है, और जो कुछ भी है ” के आधार पर नीचे वर्णित बकायों की वसूली हेतु विक्रय किया जायेगा । ऋणियों/प्रतिभूत लेनदार की सम्पत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है । आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि रूपये का विवरण नीचे दिया गया है ।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ऋणियों एवं जमानतदारों व शाखा का नाम व पता	सम्पत्ति का पता	प्रतिभूत ऋण माँग सूचना की दिनांक व बकाया राशि	आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय
श्री सुदेश कुमार उर्फ संत लाल पुत्र श्री नंद लाल बहैसियत स्वयं एवं विधिक उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री पुलकित अरोड़ा, निवासी 677, पंजाबी मोहल्ला, वार्ड नम्बर 18, ग्राम गोविंदगढ़, तहसील लक्ष्मनगढ़, जिला अलवर – 301604 खाता संख्या 3947952612 शाखा कार्यालय – एम डी एस अलवरसम्पर्क नम्बर 8696930610/0144-2343057	श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री नंदलाल एवं स्वर्गीय श्री पुलकित अरोड़ा के स्वामित्व में Flat No. 12, द्वितीय तल, ब्लॉक पलाश, ए जी एस ग्रीन्स, अलवर – 301001 (Rajasthan) जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट है हक विलेखों के अनुसार सीमाएं उत्तर – भूतल के लिए खुला दक्षिण में Flat No. 11, पूर्व – गलियारा, पश्चिम – अन्य फ्लेट	दिनांक 17-06-21 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रूपये 1795641/- (रूपये सत्रह लाख पित्तानवे हजार छःसौ इकतालीस मात्र ) एवं दिनांक 17-06-2021से आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त	<b>आरक्षित मूल्य</b> <b>1890000/-</b>  <b>धरोहर राशि</b> <b>189000/-</b>  <b>बोली वृद्धि राशि</b> <b>10000/-</b>	<b>11-10-2021</b>  <b>समय</b> <b>प्रातः 10.00</b> <b>बजे से दोपहर</b> <b>2.00 बजे तक</b>  <b>(प्रत्येक 10</b> <b>मिनट असिमित</b> <b>समयवृद्धि के</b> <b>साथ )</b>

धरोहर राशि एवं दस्तावेज ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तारीख – ई- नीलामी की दिनांक 11-10-2021 से पूर्व उक्त सम्पत्ति की नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर की जायेगी । बोलीदाता दी गई वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर अपना रजिस्ट्रेशन केवाईसी (KYC) दस्तावेजों को अपलोड करके एवं वेरिफिकेशन के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ एवं बोली में भाग लेने हेतु ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में <https://www.mstcecommerce.com> की साइट से चालान जनरेट कर उक्त वर्णित धरोहर राशि जरिये NEFT के माध्यम से करानी होगी । विक्रय की नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु बैंक की वेबसाइट [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) या नीलामी प्लेटफार्म <https://www.mstcecommerce.com> का संदर्भ लें एवं हेल्पलाइन नम्बर 033-22901004 या शाखा प्रबन्धक या प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं ।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत त्रणी/जमानदार को 30 दिवस की वैधानिक सूचना

ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथी तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी ।